फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री छगनलाल **विपक्षी :– शंकरलाल**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 29/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 30.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा प्राथीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश कर प्र.स. 22/18 शंकर बनाम मोतीबाई निर्णय दिनांक 05.08.2019 से पूर्व में पत्थरगढी होना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने दस्तावेज का अध्ययन किया। प्र.स. 22/18 विविध शंकर बनाम मोतीबाई के निर्णय दिनांक 05.08.2019 का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण के अवलोकन से पूर्व में आराजी नम्बर 5180, 5181, 5182, 5183, 5184 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गये थे जो वर्तमान वादग्रस्त आराजीयात से भिन्न हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चायलों का खेडा पटवार हल्का ईन्टाली की आराजी नम्बर 5185 किता 1 रकबा 0.5018 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 5188, 5189, 5204 किता 3 रकबा 0.9308 हेक्टेयर भूमि के दक्षिण दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

[illegible]कान्त व्यास)
स[illegible]क कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:[illegible]23
Reason: SelfAttested